कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा/माध्य/स्थिरी/34835/2017 दिनांकः 31.07.2019

उपशासन सचिव,
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषयः– प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक श्रेणी–III मे समायोजित अध्यापको को 27 वर्षीय एसीपी मे अध्यापक के समान दिनाक 01.07.2013 से ग्रेड वेतन 5400/– स्वीकृत बाबत।

प्रसंगः– इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक शिविरा/माध्य/स्थिरी–अ/34835/2017 दिनांक 16.04.2019 व आपका पत्रांक 8 (3) शिक्षा–2/सीएमओ 100766/समा.अ.वेतन./2018 दिनांक 25.04.2019

—

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक के सम्बन्ध मे निवेदन है कि प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्त कार्मिको को राज्य सरकार के आदेशों की पालना मे अध्यापक के पद पर समायोजित किये गये थे उक्त अध्यापकों को 9–18–27 वर्षीय एसीपी मे प्रथम नियुक्ति पद (प्रयोगशाला सहायक पद) की एन्ट्री ग्रेड पे राशि रूपये 2800/– के आधार पर कमशः 3600, 4200 एवं 4800 रूपये ग्रेड पे स्वीकृत किये जाने का प्रावधान वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनाक 01.07.2013 के द्वारा किया गया है ।वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14(88) एफ.डी. रूल्स/2008–1 दिनाक 31.12.2009 के बिन्दु संख्या–7 (ii) के अन्तर्गत (Regular service for grant of benifits under the A.C.P. Scheme shall be counted for the date of Joining of a post in direct Entry grade on the regular basis on the direct recruitment.)का प्रावधान किया गया है, साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमाक प. 14 (88)/ वित्त (नियम)/2008 दिनांक 05.07.2013 के अनुसार प्रथम नियुक्ति पद के ग्रेड पे के आधार पर ही ए.सी.पी. देने का प्रावधान है ।

प्रयोगशाला सहायक से तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर समायोजित कार्मिक एवं सीधी भर्ती से नियुक्त तृतीय श्रेणी अध्यापको को देय चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. के सम्बन्ध में तुलनात्मक विवरण नीचे दिया जा रहा है :–

वेतनमान	तृतीय श्रेणी अध्यापक		प्रयोग शाला सहायक	
	वेतनमान	देय च. वे. मा./ ए.सी.पी.	वेतनमान	देय च. वे. मा./ ए.सी.पी.
मा. 1998 प्रभावी 01.09.96	4000–6000	5000–8000	4000–6000	5000–8000
मा. 1998 प्रभावी 01.07.98	4500–7000	5000–8000	4000–6000	5000–8000
मा. 2008 प्रभावी 01.09.06 एवं धित दिनांक 01.01.06 (01.01.06 .06.2013)	पी.बी.1 5200–20200 ग्रेड–पे 2800	9,18,27 वर्षीय एसीपी क्रमशः 3200,3600 व 4200	पी.बी.1 5200–20200 ग्रेड–पे 2400	9,18,27 वर्षीय एसीपी क्रमशः 2800,3200 व 3600
सरकार के आदेश प.14 (8) यम 2008 दि0 05.07.13 न्ट्री ग्रेड पे 01.07.13 से ा ।	पी.बी.2 9300–34800 ग्रेड–पे 2800 को 3600 किया गया।	9,18,27 वर्षीय एसीपी क्रमशः 4200, 4800, 5400	पी.बी.1 5200–20200 ग्रेड–पे 2400 को ग्रेड पे 2800 किया गया ।	9,18,27 वर्षीय एसीपी क्रमशः 3600,4200 व 4800
न सिविल सेवा पुनरीक्षित । नियम–2017	L-10 Existing Grade pay-3600	9,18,27 वर्षीय एसीपी क्रमशः L-11 L-12 L-13	L-8 Existing Grade pay-2800	9,18,27 वर्षीय एसीपी L-9 L-10 L-11

www.rajteachers.com

[illegible] 2018 द्वारा इस मामले में 27 वर्षीय ए.सी.पी. 8400 ग्रेड पे [illegible] इस विभाग के पत्रांक शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-12740/जयपुर/पे/चयनित वेतनमान/2017 बिन्दु 09 दिनांक 14.07.2017 के संदर्भ में पुनरीक्षण किया गया । वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 211700479/एफ.डी./आर/2017 दिनांक 05.01. 2018 इस मामले में प्रयोगशाला सहायक से तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर समायोजित प्रकरण में 27 वर्षीय एसीपी 8400 ग्रेड पे में सही मानी गई है । श्री मुकेश वासु का समायोजन तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर नहीं किया गया है । इनकी पदोन्नति प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर की गई है ।

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15 (6)/एफ.डी.(रूल्स)/98 दिनांक 07.08.1998 के सामान्य नोट 14 के अनुसार "The Laboratory Assistants absorbed on the post of Teacher and Who do not Possess qualifications of STC/Bed. shall continue to draw pay in. The pay scale of 4000-6000 till they acquire qualification of STC/BEd. The seniour scale and selection scale shall be admissaible to them as admissible to Laboratory Assistants as per these orders."

अपील संख्या 2748/18 श्री मस्तराम चौधरी एवं अन्य बनाम सरकार अपील संख्या 182/18 रफी मोहम्मद पठान बनाम सरकार अपील संख्या 403/18 श्री श्याम कुमार बनाम सरकार 404/18 शिवजी राम मीणा बनाम सरकार 405/18 श्री अनुपम शर्मा बनाम सरकार 406/18 श्री कैलाशराम मीणा बनाम सरकार 407/18 चमन लाल कुकड़ बनाम सरकार में पारित निर्णय पर एक पद के दो वेतनमान नहीं हो सकते तथा समान पद व समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है के आधार पर पारित निर्णय के विरुद्ध रिट दायर नहीं करने (No Appeal) का प्रशासनिक निर्णय लिया गया है ।

विभिन्न शिक्षक संघो द्वारा प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक पद पर समायोजित एवं वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नत कार्मिको को संशोधित ग्रेड पे दिनांक 01.07.2013 से 09, 18, 27 वर्ष की सेवा गणना अनुसार 27 वर्ष की सेवा पर ग्रेड पे 8400 रूपये दिये जाने की मांग की जा रही है तथा इस पर पुनर्विचार करने हेतु ज्ञापन दिया गया है ।

प्रयोगशाला सहायको के सम्बन्ध मे निम्न तथ्य विचारणीय है :-

1. शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग के आदेश क्रमांक प. 14 (4) शिक्षा-2/96 दिनांक 27.08.97 द्वारा प्रयोगशाला सहायव जिनके पास वांछित शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता (बी.एस.टी.सी. या बी.एड) हो अथवा नहीं, समस्त प्रयोगशाला सहायव को समायोजित करने के निर्देशो के तहत इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10.10.97 द्वारा राज्य सरकार के उव निर्देशो के तहत अधिशेष घोषित किया जाकर तृतीय श्रेणी अध्यापक पदो पर समायोजित किया गया । जिर प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित (बी.एस.टी.सी. या बी.एड) समस्त प्रकार के कार्मिक थे । जो प्रयोगशाला सहायक प्रशिरि नही थे उनको अधिशेष घोषित कर समायोजन के बाद समय समय पर बी.एड/बी.एस.टी.सी. प्रशिक्षण दिया गया

2. प्रयोगशाला सहायको (माह 10/97) अधिशेष घोषित किया जाकर तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर समायोि किया गया था । तत्समय पुनरीक्षित वेतनमान 1998 (प्रभावी दिनांक 01.09.1996) दोनो पदो अध्यापक (प्रयोगशाला सहायक) का वेतनमान (4000-6000) समकक्ष था । अर्थात तत्कालीन समय प्रयोगशाला सहायको समकक्ष पद पर ही समायोजन किया गया था । वित विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के बिन्दू संख्या 17 अनुसार अधिशेष कार्मिको को अधिशेष घोषित कर समकक्ष या निम्न पद पर समायोजन होने पर पूर्व पद की नियमित अवधि जोड़ कर ए.सी.पी. देने का प्रावधान है । लेकिन पुनरीक्षित वेतनमान 1998 संशोधित (प्रभावी दि 01.07.1998) से अध्यापक तृतीय श्रेणी पद का वेतनमान (4500-7000) संशोधित किया गया । जबकि प्रयोग सहायकों का वेतनमान दिनांक 01.07.1998 से (4000-6000) रखा गया । अर्थात् दिनांक 01.07.1998 से दोनो का प्रारम्भिक वेतनमान अलग अलग हो गया। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14(88) एफ.डी. रूल्स/20 दिनांक 31.12.2009 के बिन्दू संख्या-7 (II) के अन्तर्गत (Regular service for grant of benifits unde A.C.P. Scheme shall be counted for the date of Joining of a post in direct Entry grade o regular basis on the direct recruitment.) का प्रावधान किया गया है, साथ ही राज्य सरकार के आदेश प. 14 (88)/ वित्त (नियम)/2008 दिनांक 05.07.2013 के अनुसार प्रथम नियुक्ति पद के ग्रेड पे के आधार चयनित वेतनमान देने का प्रावधान है । इस सम्बन्ध में तृतीय श्रेणी अध्यापक एवं प्रयोगशाला सहायको व चयनित वेतनमान का तुलनात्मक विवरण पूर्व वर्णित तालिका में दिया गया है ।

....

www.rajteachers.com

Moinudeen Ji

3. राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम–1971 की अनुसूची–1(8) क के अनुसार अध्यापक ग्रेड–III व प्रयोगशाला सहायक दोनो ही पदो पर कार्यरत व्यक्ति उच्च पद (वरिष्ठ अध्यापक) की पात्रता रखने पर वरिष्ठता के आधार पर समान रूप से पदौन्नति प्राप्त करने के अधिकारी है । अर्थात् प्रयोगशाला सहायको को अध्यापक पद पर समायोजित किये जाने से उनके वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदौन्नति प्राप्त करने के अवसरो पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

4. प्रयोगशाला सहायको के सेवा सम्बन्धी विषयो "राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम–1971" के संलग्न परिशिष्ट–क जो 01.09.1961 से दिनांक 30.03.1966 तक नियुक्त ग्रेड–III के अध्यापको की वरिष्ठता के सम्बन्ध में के बिन्दू संख्या–3 (II) के अनुसार प्रयोगशाला सहायको की वरिष्ठता भी प्रयोगशाला सहायक के रूप में उनकी नियुक्ति के आदेश के आधार पर III ग्रेड अध्यापको के साथ अवधारित की जायेगी तथापि वे अप्रशिक्षित अध्यापको के साथ वर्षवार के अनुसार रहेगें । यदि कोई प्रयोगशाला सहायक प्रयोगशाला सहायक के रूप में अपनी नियुक्ति समय बी.एस.टी.सी. प्रशिक्षित हो तो वह तद्नुसार प्रशिक्षित अध्यापको के साथ वरिष्ठता प्राप्त करेगा । पश्चात्वर्ती वर्षो में जारी हुए निर्देशो एवं RESS-1971 में इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के परिवर्तन अथवा यथावत रखे जाने सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं किये गये। चूंकि पूर्व प्रावधानो में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । उक्त अनुसार ही प्रयोगशाला सहायको की वरिष्ठता अब भी अध्यापक ग्रेड–III के साथ अवधारित की जाती है ।

आपके प्रासंगिक पत्र दिनांक 25.04.2019 कुमोद वासु प्रकरण के आधार पर दी गई है । जिसका समायोजन अध्यापक पद पर नहीं किया गया । अतः प्रकरण पुनः कुमोद वासु के प्रकरण के आधार पर दी गई राय एवं न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय एवं वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.08.1998 के सामान्य नोट–14 के आधार प्रयोगशाला सहायक से समायोजित अध्यापको को तृतीय श्रेणी अध्यापको के समान ए.सी.पी. देने के सम्बन्ध में परीक्षण हेतु भिजवाया जा रहा है ।

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

...गाधिकारी, कार्यालय राज्य मंत्री शिक्षा (प्राथमिक एंव माध्यमिक शिक्षा विभाग) शासन सचिवालय ...र ।

...शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा एंव पुस्तकालय एंव पंचायति राज (प्रा.शि.) विभाग, शासन ...लय जयपुर ।

...श कुमार शर्मा, सभाध्यक्ष, प्रदेश संघर्ष समिति, समायोजित प्रयोगशाला सहायक, दुजोड़ सीकर।

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com